

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपरवर्त अधिकारी, मुकाम नावा (नागौर)
 सायर केन्द्र बनाम गोपाला सिंह कोमेठ
 88/88 P 114 नं. 5/12011 सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
-----------------------------------	--

4.2.11 वादीनी ने वादपत्र प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया। उसे रजिस्टर लेखा प्रतिवादीगण की तलबी जारी हो। फतावली दिनांक 31.3.11 के पेश की।

3-11 पत्रावली पेश वार एसोसिएशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक 7-6-11 को पेश हो।

7-6-11 पत्रावली पेश वार एसोसिएशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक 8-7-11 को पेश हो।

18.7/11 आज श्रीमान् उपरवर्त अधिकारी राजकार्य से जाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 13-8-11 को पेश हो।

12.8.11 - वकील वादी (उप) प्रतिवादीगण के खिलाफ तामीली कस्र तामील प्राप्त नहीं हुई। उसे पेश करने पर तलबी जारी हो। फतावली दिनांक 8.11.11 को पेश की।

3-11 पत्रावली पेश वार एसोसिएशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक 25-11-11 को पेश हो।

25-11 पत्रावली पेश वार एसोसिएशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक 20-1-12 को पेश हो।

पत्रावली पेश वार एसोसिएशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक को पेश हो।

नम्बर
अहकाम
की तारीख

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए।

सम्मान
अधिकारी
को पेश
हो

स्वाभाविक पत्रावली पेश हुई। कटुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी सर्वोच्च राजकीय कार्य से बहार
वधारे हैं पत्रावली दिनांक 15/7/19
को पेश हो।

15/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
व वादी स्वयं को बार-बार अवाज
लगायी गईं जिसे कानून अक्षुण्ण
रहे हैं।

अतः वाद वादी अदम्य हमरी व
अदम्य पेशी में खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल सुनार हिसर दाखिल
रहता है।

Om-

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

पाखना
को